

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 32/2017

दायर दिनांक: 28.03.2017

उनवान

1. सुशीला आयु 52 वर्ष पत्नी रामस्वरूप सोनी
2. सीमा आयु 40 वर्ष पत्नी रामरतन सोनी जाति सुनार निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादीगण

बनाम

1. कमलाबाई आयु 40 पत्नी कालूलाल
2. गीताबाई आयु 30 वर्ष पत्नी धनराज
3. दाखा बाई आयु 35 वर्ष पत्नी पृथ्वीराज
4. मोनाबाई आयु 34 वर्ष पत्नी चरणसिंह जाति बंजारा निवासीगण चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज०।
5. ममताबाई आयु 40 वर्ष पत्नी ऋषिराज जाति गूजर निवासी सरसोदिया तहसील अटरू जिला बारां राज०।
6. हैदर खां आयु 60 वर्ष पुत्र अकबर खां जाति मुसलमान निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज०।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्गे तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल।

निर्णय

दिनांक: 22.05.2025

वादीगण ने यह दावा अर्न्तगत धारा 53 आर टी एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल चारपुरा पटवार क्षेत्र मोठपुर तहसील अटरू में आराजी खसरा नं0 1845/2803 रकबा 0.1800 है0, खसरा नम्बर 1846 रकबा 0.2600 है0 खसरा नम्बर 1853 रकबा 4.2500 है0, खसरा नम्बर 1856/2937 रकबा 0.1500 है0 किता 4 कुल रकबा 4.8400 है0 आराजी के संबंध में निर्णय दिनांक 14.08.2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर विवादित आराजी ग्राम चारपुरा की खाता संख्या 3 की किता 4 रकबा 4.84 है0 में वादी क्रम 1 का हिस्सा 7/33 व वादी क्रम 2 का हिस्सा 7/33 कर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी अनुसार तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर चाहा गया था। उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/1591 दिनांक 14.05.2025 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया।

अतः निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2019 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल चारपुरा पटवार क्षेत्र मोठपुर तहसील अटरू में आराजी खसरा नं0 1845/2803 रकबा 0.1800 है0, खसरा नम्बर 1846 रकबा 0.2600 है0 खसरा नम्बर 1853 रकबा 4.2500 है0, खसरा नम्बर 1856/2937 रकबा 0.1500 है0 किता 4 कुल रकबा 4.8400 है0 आराजी का मुताबिक प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:—

वादीगण

1. सुशीला पत्नी रामस्वरूप सोनी हिस्सा 1/2 जाति सुनार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सालपुरा।
2. सीमा पत्नी रामरतन सोनी हिस्सा 1/2 जाति सुनार सा0 देह खातेदार रहन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू।

क्र०सं०	ख०नं०	रकबा	किस्म/दिशा	लगान
1	1845/2803	0.08 है०	बारानी 2/पूर्व दिशा	0.56
2	1846	0.10 है०	बारानी 2/पूर्व दिशा	0.70
3	1853	1.80 है०	चाही 1.6 है०/ पश्चिम दिशा जाव 0.74 है०	23.32 8.14
4	1856/2937	0.06 है०	बारानी 2/ उत्तर दिशा	0.42
कुल किता 4		2.04 है०	—	33.14

प्रतिवादीगण

1. कमलाबाई पत्नी कालूलाल हिस्सा 93/280 जाति बंजारा सा० देह खातेदार रहन
बैंक ऑफ बडौदा शाखा सालपुरा
2. गीताबाई पत्नी धनराज हिस्सा 33/280 जाति बंजारा सा० देह खातेदार रहन
बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।
3. दाखा बाई पत्नी पृथ्वीराज हिस्सा 33/280 जाति बंजारा सा० देह खातेदार
4. मोनाबाई पत्नी चरणसिंह हिस्सा 33/280 जाति बंजारा सा० देह खातेदार
5. ममताबाई पत्नी ऋषिराज हिस्सा 88/280 जाति गूजर सा० देह सरसोदिया

क्र०सं०	ख०नं०	रकबा	किस्म/दिशा	लगान
1	1845/2803	0.10 है०	बारानी 2/पश्चिम दिशा	0.70
2	1846	0.16 है०	बारानी 2/पश्चिम दिशा	1.12
3	1853	2.45 है०	चाही 3/ पूर्व दिशा जाव 3	32.34 10.78
4	1856/2937	0.09 है०	बारानी 2/ दक्षिण दिशा	0.63
कुल किता 4		2.80 है०	—	45.57

रहन का नोट संबंधित खातेदार के यथावत रखा जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 32/2017 **दायर दिनांक: 28.03.2017**

उनवान

1. सुशीला आयु 52 वर्ष पत्नी रामस्वरूप सोनी
2. सीमा आयु 40 वर्ष पत्नी रामरतन सोनी जाति सुनार निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. कमलाबाई आयु 40 पत्नी कालूलाल
2. गीताबाई आयु 30 वर्ष पत्नी धनराज
3. दाखा बाई आयु 35 वर्ष पत्नी पृथ्वीराज
4. मोनाबाई आयु 34 वर्ष पत्नी चरणसिंह जाति बंजारा निवासीगण चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
5. ममताबाई आयु 40 वर्ष पत्नी ऋषिराज जाति गूजर निवासी सरसोदिया तहसील अटरू जिला बारां राज0।
6. हैदर खां आयु 60 वर्ष पुत्र अकबर खां जाति मुसलमान निवासी मोठपुर तहसील अटरू जिला बारां राज0।
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जयें तहसीलदार साहब तहसील अटरू जिला बारां (राज0)।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर टी एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण :- विद्वान अभिभाषक श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल
मिनजानित मुदई रूबरूX.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2019 के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम एवं माल चारपुरा पटवार क्षेत्र मोठपुर तहसील अटरू में आराजी खसरा नं0 1845/2803 रकबा 0.1800 है0, खसरा नम्बर 1846 रकबा 0.2600 है0 खसरा नम्बर 1853 रकबा 4.2500 है0, खसरा नम्बर 1856/2937 रकबा 0.1500 है0 कित्ता 4 कुल रकबा 4.8400 है0 आराजी का मुताबिक प्राथमिक डिक्री निम्न प्रकार खाता विभाजन किया जाता है:-

वादीगण

1. सुशीला पत्नी रामस्वरूप सोनी हिस्सा 1/2 जाति सुनार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सालपुरा।
2. सीमा पत्नी रामरतन सोनी हिस्सा 1/2 जाति सुनार सा0 देह खातेदार रहन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू।

क्र0सं0	ख0नं0	रकबा	किस्म/दिशा	लगान
1	1845/2803	0.08 है0	बारानी 2/पूर्व दिशा	0.56
2	1846	0.10 है0	बारानी 2/पूर्व दिशा	0.70
3	1853	1.80 है0	चाही 1.6 है0/ पश्चिम दिशा जाव 0.74 है0	23.32 8.14
4	1856/2937	0.06 है0	बारानी 2/ उत्तर दिशा	0.42
कुल किता 4		2.04 है0	—	33.14

प्रतिवादीगण

1. कमलाबाई पत्नी कालूलाल हिस्सा 93/280 जाति बंजारा सा0 देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सालपुरा
2. गीताबाई पत्नी धनराज हिस्सा 33/280 जाति बंजारा सा0 देह खातेदार रहन बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कवाई।
3. दाखा बाई पत्नी पृथ्वीराज हिस्सा 33/280 जाति बंजारा सा0 देह खातेदार
4. मोनाबाई पत्नी चरणसिंह हिस्सा 33/280 जाति बंजारा सा0 देह खातेदार
5. ममताबाई पत्नी ऋषिराज हिस्सा 88/280 जाति गूजर सा0 देह सरसोदिया

क्र0सं0	ख0नं0	रकबा	किस्म/दिशा	लगान
1	1845/2803	0.10 है0	बारानी 2/पश्चिम दिशा	0.70
2	1846	0.16 है0	बारानी 2/पश्चिम दिशा	1.12
3	1853	2.45 है0	चाही 3/ पूर्व दिशा जाव 3	32.34 10.78
4	1856/2937	0.09 है0	बारानी 2/ दक्षिण दिशा	0.63
कुल किता 4		2.80 है0	—	45.57

रहन का नोट संबंधित खातेदार के यथावत रखा जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 22.05.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)